पाठ 4

सब के चेहरे खिल उठे

● संकलित

आइए, सीखें : पुलिस के प्रति मित्रता के भाव जगाते हुए उसकी कार्य प्रणाली में सहयोग देने की भावना विकसित करना। ♦ तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्दों का ज्ञान ।

जीतू - दादाजी ! पड़ोस में पुलिस आई है। रामू भैया के काका को अपने साथ ले जा रही है। मुझे डर लग रहा है ।

(जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है ।)

दादाजी - डरते नहीं बेटा , पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। हमें डरना नहीं चाहिए ।

मानवी - दादाजी, रामू भैया बहुत रो रहा है। उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं? क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी?

दादाजी - नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है। हर किसी को मारना पीटना या जेल में डालना उसका उद्देश्य नहीं। ऐसा करना गैर कानूनी है बेटा ।

जीतू - तो क्या पुलिस ने काकाजी को गिरफ्तार नहीं किया ? फिर वे उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं?

दादाजी - जाँच-पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुँचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। वह किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं, जब प्रथम दृष्ट्या कोई आरोप उन पर बनता है। हो सकता है रामू के काकाजी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे। पड़ोस में दो दिन पहले जो चोरी हुई थी, उन चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी है।

जीतू - रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएँगे ।

दादाजी - ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले ज्यादती करें, निर्दोष व्यक्ति को सताएँ तो इस आशय की शिकायत पुलिस के उच्च

शिक्षण संकेत -
- ♦ पाठ के माध्यम से बताएँ कि 'पुलिस हमारी मित्र है।' ♦ पुलिस की कार्यप्रणाली की सामान्य जानकारी दें।
- ♦ बच्चों के मन से पुलिस के प्रति 'भय' की भावना को निकालने का प्रयास करें। ♦ पाठ के पठन-पाठन में उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें।

अधिकारियों, जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, डी.आई.जी. रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को की जा सकती है।

मानवी – यदि सचमुच काकाजी ने ही गलती की हो तो ....।

दादाजी – तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी।

मानवी – यह गिरफ्तारी क्या होती है ?

दादाजी – गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी, गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घण्टे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी । पूछताछ की और जरूरत होने पर मजिस्ट्रेट उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दे। काका के विरूद्ध जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक काका निर्दोष ही कहलाएँगे।

मानवी – काकाजी तो बहुत परेशान होंगे? न जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करें? उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में भी नहीं आता होगा।

दादाजी – यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर काकाजी चाहें तो उनका कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है।

जीतू – क्या आरोप सही होने पर काकाजी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं?

दादाजी – नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त हैं। किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट , जुल्म यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी है।

मानवी – काकाजी को हथकड़ी भी लगाएँगे क्या?

दादाजी – यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएँगे तो लगा सकती है। हाँ यदि कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है, अकारण ही किसी का अपमान करने के लिए नहीं।

जीतू – क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जा सकती है?

दादाजी – महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहाँ तक संभव हो 'महिला पुलिस' अधिकारियों की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। यदि विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला के परिजनों

को उसके साथ रखा जाता है।

मानवी - क्या महिलाएँ भी अपराधी होती हैं?

दादाजी - हाँ बेटी, महिलाएँ भी अपराधी हो सकती हैं। किसी अपराधी महिला के विरूद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है।

जीतू - ऐसा क्यों दादाजी ?

दादाजी - ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। कोई अपमानजनक बात न हो। हाँ, एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपार्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्त्तव्य है ।

(रामू का प्रवेश)

रामू - दादाजी हमें बचाइए ।पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे।

दादाजी - नहीं बेटा! पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है। हमें सताना नहीं ।

(इसी समय रामू के काकाजी और काकी दादाजी के पास आते हैं ।)

काकाजी - दादाजी सत्य कहते हैं । पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे। जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी, वे मुझे फिर बुला लेंगे। मैं भी उनकी सहायता करूँगा। आखिर अपराधी को दण्ड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी तो कर्त्तव्य है।

दादाजी - सही है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, साम्प्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुँचाना एवं पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का दायित्व है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक सम्पत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य हैं, उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है ।

जीतू - हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं ?

दादाजी - पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून व्यवस्था बनाऐ रखना,

सूचना का आदान-प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है।

जीतू - आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह समाप्त हो गया है।

(सभी के चेहरे खिल उठे)

नए शब्द

हिरासत = निगरानी। **रिकार्ड** = लिखित विवरण। **गैर कानूनी** = कानून के विरूद्ध। **जाँच-पड़ताल** = छान-बीन। **साबित करना** = सिद्ध करना। **ज्यादती** = अत्याचार। **अनुमति** = स्वीकृति। **निर्दोष** = दोषी न होना, निरपराध

अनुभव विस्तार

1. **वस्तुनिष्ठ प्रश्न**

(क) सही जोड़ी बनाइए -

मानवाधिकार	-	सद्भाव
साम्प्रदायिक	-	संरक्षण
राष्ट्रीय	-	आयोग
कानूनी	-	हित

(ख) दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

(अ) रामू के काका को पुलिस ....के लिए पकड़कर ले जा रही थी।
(गिरफ्तार करने, पूछताछ करने)

(ब) पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी.................................... है।
(जनता को सताना, नागरिकों की सुरक्षा)

(स) पुलिस अपराधी को ....घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है।
(चौबीस, बत्तीस)

3. **अति लघु उत्तरीय प्रश्न -**

(अ) पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए ?

(ब) पुलिस लोगों से पूछताछ क्यों करती है?

(स) पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी कौन-कौन से हैं?

(द) हम पुलिस का सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं?

4. लघु उत्तरीय प्रश्न –

(अ) पुलिस किस–किस स्थिति में हथकड़ी लगा सकती है?

(ब) पुलिस को सहयोग करना क्यों आवश्यक है?

(स) महिलाओं से पूछताछ के लिए क्या–क्या सावधानियाँ जरूरी हैं?

(द) नागरिकों के पुलिस के प्रति क्या कर्त्तव्य हैं?

भाषा की बात–

(क) बोलिए और लिखिए –

दृष्ट्या, अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, गिरफ्तार, उत्पीड़न, विशेष, अनुसंधान, संरक्षण

(ख) रेखांकित शब्दों के विरूद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य बनाइए–

(अ) दोषी व्यक्ति को दण्ड मिलता है ।

(ब) सज्जनों का सभी सम्मान करते हैं ।

(स) अपराधी जितने दूर हों उतना अच्छा ।

(द) मैं आज कक्षा में उपस्थित रहूँगा ।

(ग) उदाहरण के अनुसार ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए–

मूल शब्द	प्रत्यय	नए शब्द
अपराध	ई	अपराधी
पाप		
दान		
सहयोग		
प्राण		

अब करने की बारी

- पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए ।
- शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर किसी प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख कीजिए ।
- किसी निकट के पुलिस थाने में जाकर पुलिस की कार्यवाही अथवा प्रक्रिया को समझिए ।